निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 106 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विकास एजेन्सी (**ITDA) **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विकास एजेन्सी (**ITDA) **देहरादून** के वर्ष 2006-07 से 2016-17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक: 18-02-2018 से 01-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी.के. सिंह, आ० अधि० द्वारा दिनांक: 27.11.2006 से 07.12.2006 तक की गयी । वर्तमान मे वर्ष 2006-07 से 2016-17 तक के लेखा अभिलेखों की श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18-02-2018 से 01-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलाप:- राज्य मे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस परियोजनाओ का क्रियान्वयन।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

समस्त उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र।

(अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `	समर्पण
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `			
2004-05					386.00	52.47		333.53	
2005-06		333.53	-	-	4673.41	221.74		4785.21	
2006-07		4785.21	-	-	1395.00	2269.54		3910.67	

2007-08		3910.67	-	-	1978.00	2332.46		3556.20	97.94
2008-09		3458.27	100.00	50.70	2057.41	940.40		4624.58	233.71
2009-10	49.30	4341.57	68.40	87.23	522.65	858.01		4036.69	-
2010-11	30.48	4006.21	79.31	88.27	-	48.57		3979.15	-
2011-12	21.51	3957.64	60.50	59.41	-	256.22		3724.02	3548.32
2012-13	10.27	153.10	85.00	67.77	1616.00	200.72		1595.88	-
2013-14	27.50	1568.37	85.00	67.87	866.50	991.01		1488.49	-
2014-15	00.0	1443.86	107.00	70.98	1193.25	1921.93		751.20	-
2015-16	36.02	715.18	102.00	110.12	1642.84	1040.80		1345.13	-
2016-17	27.90	1317.23	107.00	108.65	1428.93	1773.44		998.97	814.12

वर्ष 2011-12, 2013-14 एवं 2016-17 मे स्थापना मे धनराशि क्रमश: रु.12.33 लाख, 44.63 लाख एवं 26.07 लाख का समर्पण कर दिया गया।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय `**	**व्यय अधिक्य (+) `**		**बचत (-) `**	**समर्पित**
2004-05	नेशनल ई-गवर्नेंस योजना	-	156.00	-			156.00	-
2005-06		156.00	421.00	0.45			576.55	-
2006-07		576.55	792.70	32.65			1336.60	-
2007-08		1336.00	555.86	24.09			1868.37	-
2008-09		1868.33	2309.35	629.82			3547.91	1159.07
2009-10		2388.84	780.27	755.33			2413.78	
2010-11		2413.78	94.44	106.38			2401.84	
2011-12		2401.84	-	252.83			2149.00	1734.50
2012-13		414.50	1482.17	205.35			1691.32	334.57
2013-14		1356.75	597.13	562.83			1391.04	77.20
2014-15		1313.84	1214.74	1640.18			888.41	360.24
2015-16		528.16	1404.27	1017.96			914.47	-
2016-17		914.47	2909.08	1673.57			2149.98	445.31

(ii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

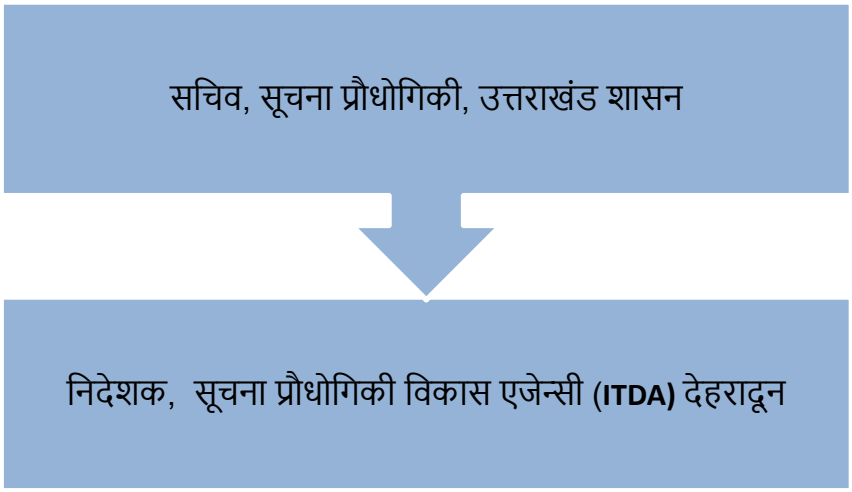

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-..... के अंतर्गत कार्यालय **निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विकास एजेन्सी (**ITDA) **देहरादून** के वर्ष 2006-07 से 2016-17 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विकास एजेन्सी (**ITDA) **देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2007, मार्च 2005, जून 2013, अगस्त 2009, दिसम्बर 2014 एवं अक्टूबर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-1 आईटीडीए द्वारा हिल्ट्रोन को कम्प्युटराइजेशन हेतु प्रेषित धनराशि मे से अवशेष रु. 1.65 करोड़ का 11 वर्षो से अवरूद पड़े रहना एवं उस पर रु. 89.50 लाख ब्याज की वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा माह अगस्त 2004 मे जारी शासनादेश के अनुसार उत्तरांचल राज्य के सूचना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे विकास हेतु कार्य ITDA को नोडल एजेंसी बनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) के अभिलेखो (मार्च 2016) की जांच मे पाया गया कि आईटीडीए द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2006 के मध्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वन विभाग, नगर विकास, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालयो के कम्प्युटराइजेशन एवं सूचना प्रौधोगिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यो हेतु हिल्ट्रोन को रु.13.89 करोड़ की धनराशि प्रेषित की गयी थी। जिसमे से रु.1.65 करोड़ की धनराशि हिल्ट्रोन के पास विगत 11 वर्षो से अवशेष पड़ी थी । तथा मार्च 2016 के पश्चात आईटीडीए द्वारा हिल्ट्रोन को इस संबंध मे कोई पत्राचार भी नही किया गया।

उक्त को इंगित करने पर आईटीडीए द्वारा माना गया कि विभागो के कम्प्युटराइजेशन हेतु हिल्ट्रोन को प्रेषित की गयी धनराशि मे से रु.1.65 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक उपलब्ध नही कराये गए है तथा न ही धनराशि आईटीडीए को वापस की गयी है, साथ ही आईटीडीए द्वारा उपलब्ध कराये गए

हिल्ट्रोन के दिनांक: 23 मार्च 2018 के पत्र के माध्यम अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि रु.1.65 करोड़ मे से रु. 14581772.00 धनराशि हिल्ट्रोन के पास अवशेष है तथा रु. 2009177 का हिल्ट्रोन द्वारा उपभोग कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध मे व्यय एवं बैंक सम्बन्धी कोई भी विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे यह ज्ञात नही हो पाया है कि उक्त धनराशि हिल्ट्रोन के पास अवशेष है अथवा दुरूपयोग किया गया है। जो कि गम्भीर अनियमित्ता का घोतक है।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर-1: रु 5.00 करोड़ राशि अवरुद्ध रखना एवं रु 99.32 लाख के लैपटॉप बिना आवश्यकता के नियमो के विरुद्ध अनियमित रूप से क्रय किया जाना।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार 3¼1½ leLr vf/kizkfIr izfdz;kvksa esa ikjnf'kZrk] izfrLi/kkZ rFkk fu"i{krk lqfuf'pr dh tk, rkfd O;; dh tkus okyh /kujkf'k dk vf/kdre ykHk çkIr gks ldsA

¼2½ tc rd bu fu;eksa vFkok fof'k"V vkns'kksa ds v/khu NwV u nh tk,] leLr vf/kizkfIr;ka fufonk ds ek/;e ls dh tk,axhA
¼3½ tc rd fu;e esa vU;Fkk fofufnZ"V ;k l{ke izkf/kdkjh }kjk fo'ks"k :i ls izfrcfU/kr u fd;k x;k gks] lHkh Hkkxhnkjksa dks cksfy;ka yxkus ds fy, vkefU=r fd;k tk,xkA
¼4½ vf/kizkIrdrkZ laxBu dh fof'k"V vko';drkvksa dks /;ku esa j[krs gq,] vf/kizkIr dh tkus okyh lkexzh dh xq.koRrk] izdkj] ek=k vkfn fof'k"Vrk,a Li"V :i ls lwfpr dh tkuh pkfg,a ftlls vfrfjDr vkSj vuko';d y{k.kksa dks 'kkfey fd, cxSj bl izdkj rS;kj dh xbZ fof'k"Vrkvksa }kjk laxBu dh vk/kkjHkwr vko';drkvksa dh iwfrZ gks lds] ftlls vokafNr O;; u gks vkSj Hk.Mkj.k ykxr ¼bUosUVjh dSfjbZxa dkWLV½ esa vuko';d o`f) u gksA
¼5½ l{ke izkf/kdkjh }kjk lqfuf'pr fd;k tk;s fd p;fur en lHkh vko';drkvksa dh lHkh izdkj ls i;kZIr :i ls iwfrZ djrh gSA
¼6½ lHkh 'krZsa leku gksus ij lkekU;r% U;wure nj okyh fufonk Lohdkj dh tk;s vU;Fkk mu dkj.kksa dks loZFkk vfHkfyf[kr fd;k tk;s ftuds dkj.k U;wure nj okyh fufonk vLohd`r dh xbZ gSA
¼7½ l{ke izkf/kdkjh dks viuk ;g lek/kku djuk gksxk fd izLrkfor njsa ;qfDr;qDr gSa vkSj xq.koRrk ds vuq:i gSaA
¼8½ l{ke izkf/kdkjh }kjk izR;sd Lrj ij vf/kizkfIr ds vfHkys[kksa की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए।

¼9½ijØke.k¼fuगोsशिएशन½ ls cpk tk, vkSj fof'k"V ifjfLFkfr;ksa esa dsoy U;wure cksyh yxkus okys ¼,y&1½ ls gh lEk>kSrs dh okrkZ dh tk ldsxh rFkk ,sls ijdzke.k ds dkj.k Li"V :i ls vfHkfyf[kr fd, tk,aA

¼10½ fuEurj njksa dk ykHk izkIr djus ds fy, ;Fkklk/; vf/kdre vko';d ek=k dh ,d lkFk vf/kizkfIr dk iz;kl fd;k tk,A vf/kizkfIr ewY; de djus ds fy, vko';d ek=k dks foHkkftr ugha fd;k tk,xk vkSj u gh dqy vko';drk ds vkdafyr ewY; ds lUnHkZ esa visf{kr mPprj izkf/kdkjh dh laLohd`fr izkIr djus dh vok';drk ls cpus ds fy, NksVs&NksVs Hkkxksa esa foHkDr fd;k tk,xkA

¼11½ ,d:irk cuk, j[kus rFkk dk;Z dh iqujko`fRr vkSj lEHkkfor =qfV;ksa ls cpus ds fy, vf/kizkfIr gsrq ekud fufonk nLrkostksa dk mi;ksx fd;k tkuk pkfg,A

¼12½ foHkkxksa }kjk ;g lqfuf'pr fd;k tk;s fd lafonk] fufonk ds oS/k le; ds vUnj gh nh tk, vkSj fufonk dh oS/k frfFk c<k, tkus dks grksRlkfgr fd;k tk, vkSj dsoy vlk/kkj.k ifjfLFkfr;ksa esa gh ,slk fd;k tk,A

¼13½ foRRkh; vf/kdkjksa dk iz;ksx djrs gq, l{ke dszrk izkf/kdkjh foRrh; vkSfpR; ds fuEufyf[kr ekudksa dk /;ku j[ksxk%&

¼1.½ vf/kizkfIrdrkZ izkf/kdkjh dk eq[; drZO; gksxk fd og ;g lqfuf'pr djs fd [kpZ dh tkus okyh /kujkf'k dk ljdkj dks leqfpr izfrykHk feys]+

S(2) O;; izFke n`"V;k vko';drk iM+us ij gh fd;k tkuk pkfg,]

¼3½ izR;sd ljdkjh deZpkjh yksd/ku ls O;; djrs le; mlh izdkj dh lrdZrk cjrsxk ftl izdkj lkekU;r% ,d cqf)eku O;fDr futh /ku O;; djrs le; cjrrk gS] vkSj

¼4½ dksbZ Hkh izkf/kdkjh viuh 'kfDr;ksa dk ç;ksx dj ,slk vkns'k ikfjr ugha djsxk ftlls mls izR;{k ;k ijks{k :i ls futh ykHk feysA

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 349 /xvii-1/2016-10(8)2013 TC दिनांक 22-11-2016 के द्वारा लैपटाप क्रय करने हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं रु 5.00 करोड़ धनराशि आइ टी डी ए उत्तराखंड देहरादून को उपलब्ध कराई गयी थी। इस धनराशि से लैपटाप क्रय करके राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग /मेडिकल संस्थानो मे शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र / छात्राओ को लैपटाप वितरित किए जाने थे । इसी क्रम मे दिनांक 21.12.2016 को लैपटाप क्रय किए जाने हेतु GEM पोर्टल के माध्यम से 1425 लैपटाप का आपूर्ति आदेश रु 34,850.00 प्रति लैपटाप की दर जारी किया गया था 1425 लैपटाप की आपूर्ति दिनांक 5.1.2017 तक पूर्ण की जानी थी। इसमे से 285 लैपटाप की आपूर्ति की गयी थी इनकी धनराशि रु 99.32 लाख की आपूर्ति की गयी थी ।

यह लैपटाप समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराये गए थे । वही पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन लैपटॉप का छात्रों को वितरण किया गया था । इसके बाद अवशेष लैपटॉप 1140 की आपूर्ति नहीं ली गयी थी इसे यह कह कर रद्द कर दिया गया था की राज्य मे आदर्श चुनाव सहिंता लागू हो चुकी है व वितरण की कार्यवाही नहीं

की जा सकती है । अत: शेष संख्या हेतु उपलब्ध समय मे बेहतर दरे हेतु E – tender की प्रक्रिया उचित प्रतीत होती है , इससे लैपटॉप की दरें कम होने की संभावना रहेगी । आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निदेशक समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग छात्रो की संख्या 1210 ही उपलब्ध करायी गयी थी ओर 1425 लैपटॉप का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि – 276 लैपटॉप राजकीय आश्रम पद्दयति विधालय मे रखे है मात्र 9 लैपटॉप वितरित किए गए है , रु 5.00 करोड़ धनराशि एच डी फ सी बैंक मे रखी गयी है।
अत: रु 5.00 करोड़ राशि अवरुद्ध रखना एवं रु 99.32 लाख के लैपटॉप बिना आवशकता के नियमो के विरुद्ध अनियमित रूप से क्रय करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 जब्त बैंक गारंटी से प्राप्त आय रु 32.82 लाख का अनावश्यक अवरोधन एवं विगत तीन से भी अधिक वर्षो से शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

वित्तीय नियमो में प्रावधान है कि समस्त प्राप्त आय बिना किसी विलम्ब के शासकीय खाते में जमा की जानी चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास ऐजेंसी के अभिलेखो की जांच के दौरान संज्ञान में आया की ऐजेंसी द्वारा अधोलिखित धनराशि विभिन्न परियोजनांतर्गत जब्त बैंक गारंटी के रूप में निम्न विवरणानुसार अर्जित की थी।

क्रमांक	फर्म का नाम जिसकी	परियोजना जिसके	बैंक गारंटी जब्त	विवरण

	बैंक गारंटी जब्त की गयी	संबंध में बैंक गारंटी जमा करायी गयी थी	करने की तिथि व धनराशि (रु में)	
1.	मेसेर्स सेमटेक इंडिया प्रा॰ लि॰	विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत मानव संसा-धन प्रणाली (HRMS) विकसित किया जाना	14/03/2009 रु 26,82,357/-	संदर्भित बैंक गारंटी आंशिक रूप से जब्त की गयी थी जिसका उद्देश्य परियोजना सेवा शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण न करना था।
2.	मेसेर्स कॉमेट टेक्नालोजी	विश्व बैंक योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग हेतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना	04/03/2014 **रु 6,00,000/-**	परियोजना सेवा शर्तो के अनुसार कार्य न करने के कारण
3.	तदैव	कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना	31/03/2010 रु 20,00,000/-	फर्म द्वारा कार्य पूर्ण न करना व परियोजना से हट जाना।

क्रमांक 3 पर दर्शायी गयी योजना मार्च 2017 तक अपूर्ण थी। क्रमांक 1 व 2 पर दर्शायी गयी योजनाए बंद हो चुकी थी। जब्त बैंक गारंटी से प्राप्त धनराशि ऐजेंसी द्वारा कॉरपस फंड के अंतर्गत रखी गयी थी जिसे ऐजेंसी द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु इस्तेमाल किया जाता था। अत: क्रमांक 1 व 2 पर दर्शायी गयी योजनाओ के अंतर्गत जब्त बैंक गारंटियों को अनावश्यक रूप से अवरोधित रख कर व शासकीय लेखो में जमा न कर ऐजेंसी द्वारा वित्तीय नियमो की अनदेखी की गयी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर ऐजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना पूर्ण होने के उपरांत धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाएगी व अन्य परियोजनाओ से अर्जित धनराशि के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि योजनाये बंद होने के साथ ही जब्त बैंक गारंटी के रूप में अर्जित आय शासकीय लेखो में जमा की जानी चाहिए थी।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-3 बीएसएनएल को 3.57 करोड़ का ब्याज रहित अग्रिम भुगतान किया जाना।

mŸkjk[k.M vf/kizkflr ¼izWksD;qjesaV½ fu;ekoyh] 2008 का नियम 22¼1½ lkekU;r% vkiwfrZ@lsok;sa iw.kZ djus ds ckn gh Hkqxrku fd;k tk;] ijUrq fuEufyf[kr ifjfLFkfr;ksa esa vfxze Hkqxrku dh O;oLFkk dh tk ldrh gS%&

¼,d½ ,;jdUMh'kuj] dEI;wVj ;k vU; dherh midj.kksa vkfn ds j[kj[kko gsrq lEcfU/kr j[kj[kkodrkZ vuqcfU/kr QeZ }kjk ekWax djus ij(¼nks½ ,slh QeZ] tks fuekZ.k lafonk ¼QSfczdsश u½ ij gks] vk|ksikar lafonk ¼VuZ&dh½ ij gks] ds मांग ijA

(2½ bl izdkj ds vfxze Hkqxrku dh lhek;sa fuEukuqlkj gksaxh %&¼d½futh QeksZa dks] vuqcU/k ds ewY; dk **30** प्रतिशतA ¼k½jkT;@dsUnz ljdkj dh bdkbZ ;k jkT;@dsUnz ljdkj ds lkoZtfud miØe gsrq] vuqcU/k ds ewY; dk **40** प्रतिशतA

¼x½vuqj{k.k@j[kj[kko lafonk ds izdj.k esa lafonk dh 'krksZa ds v/khu **vfxze /kujkf'k 6 ekg esa ns; /kujkशि ls vf/kd ugha gksuh pkfg,A**

48¼1½ lk/kkj.kr;k dk;Z gsrq vfxze fn;k tkuk oftZr gS rFkk fd;s x;s okLrfod dk;Z ds lkis{k gh Hkqxrku fd;k tk;A 'kklu vFkok l{ke çkf/kdkjh }kjk LFkkfir fu;eksa rFkk izfdz;kvksa ds v/khu dqN iwoZ ls ifjHkkf"kr mi;ksxksa esa viokn vuqeU; fd;s tk ldrs gSaA bl izdkj ds dqN mnkgj.kksa esa fuEufyf[kr dks lfEefyr dj ldrs gSa %& ¼d½ lapkyu vfxze ¼eksfcykbts'ku ,MokUl½ ¼k½ miLdj ,oa मशीन gsrq vfxze rFkk ¼x½ fuekZ.k dk;Z dh izxfr esa rhozrk ykus gsrq vfxzeA

¼2½ vfxze] **vfxze /kujkशि ds lek;kstu vFkok dVkSrh rd] C;kt dh 'krZ ds v/khu Lohd`r fd;s tk,saxsA**

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) के अभिलेखो (फरवरी 2018) की जांच मे पाया कि शासन द्वारा स्वान परियोजना के अंतर्गत 119 **SWAN PoP** केन्द्रो पर बैंडविदथ अपग्रेडेशन (वर्टिकल) किए जाने हेतु दिनांक: 16 जनवरी 2017 को रु. 4.60 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमे मे से 113 THQ/BHQ स्वान PoP के बैंडविदथ अपग्रेडेशन हेतु रु. 3.67 करोड़ धनराशि का अग्रिम भुगतान दिनांक

23 फरवरी 2017 को भारत संचार निगम लिमिटेड को कर दिया गया। जिसके सापेक्ष BSNL द्वारा माह अगस्त 2017 तक मात्र 17.69 प्रतिशत एवं दिसम्बर 2017 तक 47 प्रतिशत बैंडविदथ अपग्रेडेशन का कार्य ही किया गया।

उक्त को इंगित करने पर आईटीडीए द्वारा अवगत कराया गया कि GST शीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित था तथा GSTN की प्राथमिकता हेतु बैंडविदथ का अपग्रेडेशन अविलम्ब किया जाना प्रस्तावित था इस कारण **BSNL** के पत्र (दिनांक 18/02/2017) के संदर्भ मे वार्षिक अग्रिम भुगतान किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि फरवरी 2018 तक 113 मे से 85 circuits अपग्रेड किए जा चुके है, जिसमे BSNL द्वारा रु. 2.61 करोड़ धनराशि का उपभोग किया जा चुका है। आईटीडीए का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि ITDA द्वारा उक्त नियमो के विपरीत भारत संचार निगम लिमिटेड को 90 प्रतिशत ब्याज रहित धनराशि जारी करते समय mŸkjk[k.M vf/kizkflr ¼izWksD;qjesaV½ fu;ekoyh] 2008 के नियमो का अनुपालन नही किया गया, जबकि शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भी धनराशि व्यय करते समय mŸkjk[k.M vf/kizkflr ¼izWksD;qjesaV½ fu;ekoyh] 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे तथा बिन्दु संख्या (I) मे यह भी निर्देशित किया गया था कि निदेशक आईटीडीए द्वारा उक्त आहरित धनराशि का व्यय मासिक आधार पर किश्तों मे किया जाएगा, जिनका अनुपालन आईटीडीए द्वारा नही किया गया तथा न ही आईटीडीए द्वारा उक्त धनराशि पर ब्याज वसूला गया, जबकि उक्त धनराशि मे से रु. 96.32 लाख का अभी तक (फरवरी 2018 तक) BSNL उपयोग नही कर पाया था।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-4: निष्फल व्यय धनराशि रु 138.26 लाख

छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के जरिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) व भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से सितंबर 2005 में राज्य सरकार द्वारा एडुसेट (एजुकेशन सैटेलाइट) परियोजना प्रारम्भ की गयी थी। परियोजनान्तर्गत देहरादून में स्टेट नेटवर्क प्रसारण केंद्र स्थापित कर 55 राजकीय महाविद्यालयों को सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल

(सिट्स) के माध्यम से प्रसारण केंद्र से जोड़ा जाना था। 10 VSATs इसरो द्वारा free of cost लगाए जाने थे। 45 सिट्स (सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल) हेतु प्रति सिट्स रु 2,52,200/- की दर से इसरो को मई, 2006 में अधोलिखित विवरण के अनुसार कुल रु 138.26 लाख का भुगतान किया गया था-

1. 45 सिट्स (student peripheral projecto screen camera) रु 1,13,49,000=00

   (45X2,52,200/-)

2. Teaching and peripherals (HUB) रु 6,41,000=00
3. Ten Sets of student and peripherals / equipments रु 15,95,000=00
4. AMC charges of the HUB for a period of two रु 2,41,000=00 years after completion of one year warrenty.

   योग रु 1,38,26,000=00

इसरो को रु 138.26 लाख का भुगतान आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा दो किस्तों (रु 58.50 लाख सितंबर 2005 व रु 79.76 लाख मई 2006) में किया गया था जबकि शासनादेश (मार्च 2006) के बिन्दु 6 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि कृत कार्य हेतु आंशिक धनराशि का ही भुगतान किया जाये व अंतिम किस्त का भुगतान थर्ड पार्टी मूल्यांकन व कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत ही किया जाये। फरवरी, 2018 तक प्रस्तावित कालेजों में से मात्र 42 कालेज कनेक्ट किए गए थे जिनमे से केवल 6 कालेजों में एडुसेट क्रियाशील था, अत: परियोजना पर किया गया रु 138.26 लाख का व्यय निष्फल रहा क्योंकि छात्रो को दूरवर्ती शिक्षा के जरिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का शासन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

इंगित किये जाने पर आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा अवगत कराया गया कि ऐजेंसी की भूमिका इसरों को धनराशि हस्तांतरण की थी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि शासनादेश संख्या 84/ XXXIV / 57- सं॰ प्रो॰ / 2005 दिनांक 22 मार्च 2006 में अंतिम किस्त का भुगतान थर्ड पार्टी मूल्यांकन एवं कार्य के संतोषजनक पाये जाने के उपरांत किये जाने का निर्देश था अत: ऐजेंसी की भूमिका केवल धन हस्तांतरण तक बताया जाना तर्कसंगत नहीं था।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर संख्या:- 5: वाह्य सेवा द्वारा पदस्थापित सपोर्ट स्टाफ के वेतन पर रु 17.98 लाख अधिक भुगतान।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 372/xxxiv/2016-125/2006 दिनांक 06/10/2016 के द्वारा 28/02/2017 तक आई टी डी ए मे अस्थाई पदो को निरंतरता प्रदान की गयी थी। इससे आगे मार्च 2017 से लेखापरीक्षा तिथि तक निरंतरता प्रदान नहीं की गयी थी। इस पत्र के प्रावधान / शर्त के अनुसार वाह्य सेवा के पदो को अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमो के अनुसार भरा जाना था। एवं शासनादेश संख्या 142 (1) xxvii(7) विविध /2016 / वित्त अनुभाग -7 दिनांक 6/8/2017 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि -समस्त विभागो / सरकारी उपक्रमो / स्थानीय निकायो/ स्वायत निकायो / मे उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओ के माध्यम से नियोजित कार्मिको के वेतन भत्ते की दरो का निर्धारण सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 323 एवं 636 दिनांक 12 जून 2013 एवं दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार किया जाएगा। इससे अलग की गयी कार्यवाही वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे मानी जाएगी, इसके लिए संबन्धित स्वीकृति प्रदाता अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी स्वय उत्तरदायी होंगे। आदेश मे यह भी स्पष्ट था कि यदि किसी विभाग द्वारा उक्त आदेश से इतर वेतन भत्ते अन्य सुविधाए प्रदान की जा रही है तो तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। इस आदेश मे यह भी स्पष्ट किया था की इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित वेतन से अधिक वेतन भुगतान किया जा रहा है जो कि वर्तमान वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नियमो के विरुद्ध है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अनुमन्य वेतन	भुगतान किया गया वेतन	अधिक भुगतान की राशि
1	महरबान सिंह	अकाउंटेंट	11,706.00	43272.00	31,566.00
2	अनिल कुमार	डाटा इंट्री आपरेटर	11,706.00	33210.00	21504.00
3	निकेता नेगी रावत	डाटा इंट्री आपरेटर	11,706.00	33860.00	22154.00
4	रंजन कतवाल	डाटा इंट्री आपरेटर	11,706.00	33210.00	21504.00
5	रजनी जोशी	पीएस	13212.00	49286.00	36074.00
6	ललित मोहन	रनर	9676.00	22748.00	13072.00

7	प्रताप कुमार	रनर	9676.00	22748.00	13072.00
8	सविता रावत	स्टेनो	13212.00	43275.00	30063.00
9	भारत सिंह	एसजी	9676.00	17950.00	8274.00
10	धीरज सिंह	एसजी	9676.00	17950.00	8274.00
11	सूरवीर सिंह	एसजी	9676.00	17950.00	8274.00
12	यसपाल सिंह रावत	डाटा इंट्री आपरेटर	11,706.00	31910.00	20204.00
13	जगमोहन सिंह	रनर	9676.00	22791.00	13115.00
14	सुनील सिंह	रनर	9676.00	22791.00	13115.00
15	संजय माथुर	कार्यालय प्रबन्धक	32448.00	50188.00	17740.00
16	विकास गुप्ता	प्रबन्धक प्रक्न्योरमेंट	32448.00	54231.00	21783.00
		माह जनवरी 2018 मे अधिक भुगतान			2,99,828.00

अर्थात उक्त आदेश माह अगस्त 2017 से प्रभावी है इसलिए अगस्त 2017 से जनवरी 2018 तक 6 माह का अधिक भुगतान रु 2,99,828.00x06= रु 17,98,968.00 का अधिक भुगतान किया गया है इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- सपोर्ट स्टाफ को पंचम वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त आदेश के द्वारा इस प्रकार के वेतन /भत्तो एवं अन्य सुविधाओ को वित्त विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है इसलिए भुगतान किया जाना नियमो के विरुद्ध है ।

अत: रु 17.98 लाख अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-6: असमायोजित अग्रिम धनराशि रु 148.75 लाख ।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास ऐजेंसी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में संज्ञान में आया कि ऐजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 के मध्य अधोलिखित विवरण के अनुसार निम्न संस्थानो को रु 148.75 लाख की राशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी-

क्रमांक	**संस्था जिसको अग्रिम दिया गया था**	**अग्रिम भुगतान की तिथि**	**अग्रिम की राशि (रु में)**	**अग्रिम दिये जाने का उद्देशय**
1.	इसरों, बैंगलौर	08/09/2005 08/05/2006	58,50,000=00 79,76,000=00	राज्य के राजकीय कॉलेजो में EDUSAT(education Satellite) के क्रियान्वयन हेतु

2.	सर्वे ऑफ इंडिया	23/12/2004	10,00,000=00	राज्य के विभिन्न स्थलो के जी॰आई॰एस॰ इमेजरी उपलब्ध कराये जाने हेतु
3.	शिक्षा निदेशालय	25/08/2005 मार्च 2009 में रु 1,50,500/- के समायोजन के उपरान्त असमायोजित राशि (रु 49,500/-)	2,00,000=00	आरोहन प्रतियोगिता 2004 आयोजित किए जाने हेतु
		योग	रु1,38,75,500=00	

विगत 10 से भी अधिक वर्षो से ऐजेंसी द्वारा न ही अग्रिम का समायोजन किया गया, न ही वसूली की गयी जो ऐजेंसी की उदासीन कार्य प्रणाली एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाती है।

इंगित किए जाने पर आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित विभागो से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अग्रिमों का समायोजन नहीं हो पाया।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि अग्रिम के समायोजन अथवा वसूली का दायित्व अग्रिम वितरण कर्ता विभाग / ऐजेंसी का है।

अत: धनराशि रु 148.75 लाख के असमायोजित अग्रिम का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-7: हिल्ट्रोन को Centage Charge के रूप मे रु. 10.47 लाख का अदेय लाभ।

अगस्त 2004 मे जारी उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार उत्तरांचल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे विकास हेतु कार्य ITDA **को नोडल एजेंसी बनाया गया। सूचना प्रौधोगिकी विकास एजेन्सी (**ITDA) द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2006 के मध्य हिल्ट्रोन को प्रेषित की गयी धनराशि से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि आईटीडीए द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कम्प्युटराइजेशन हेतु हिल्ट्रोन को 5 प्रतिशत सेंटेज़ चार्जेज (रु. 1047283.00) सहित कुल रु. 21992938.00 का भुगतान दिनांक: 1.1.2005 को कर दिया गया। जबकि उत्तरांचल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे विकास हेतु कार्य ITDA **का गठन किया जा चुका था एवं नोडल एजेंसी के रूप मे** सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे सभी विकास कार्य आईटीडीए द्वारा ही किए जाने थे, तथा ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत हिल्ट्रोन को सेंटेज़ चार्जेज देय नही था। फिर भी आईटीडीए द्वारा हिल्ट्रोन को 5 प्रतिशत सेंटेज़ चार्जेज रु.10.47 लाख का भुगतान किया गया। ।

उक्त को इंगित करने पर आईटीडीए के उत्तर में बताया कि विभागो के कम्प्युटराइजेशन हेतु हिल्ट्रोन को धनराशि शासन के निर्देश पर प्रेषित की गयी है तथा सेंटेज़ चार्जेज दिये जाने संबंधी सूचना आईटीडीए के पास उपलब्ध नही है। आईटीडीए का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त धनराशि 5 प्रतिशत सेंटेज़ चार्जेज के साथ आईटीडीए द्वारा ही हिल्ट्रोन को प्रेषित की गयी थी। ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत हिल्ट्रोन को सेंटेज़ चार्जेज देय नही था तथा हिल्ट्रोन द्वारा उक्त धनराशि से खरीदे गए अधिकांश कंप्यूटर भी 3 वर्ष तक अनुपयोगी पड़े रहे।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-8: रु 1839.66 लाख की सामग्री का क्रय बिना निविदा के किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3¼1½ के अनुसार leLr vf/kizkfIr izfdz;kvksa esa ikjnf'kZrk] izfrLi/kkZ rFkk fu"i{krk lqfuf'pr dh tk, rkfd O;; dh tkus okyh /kujkf'k dk vf/kdre ykHk çkIr gks ldsA

¼2½ tc rd bu fu;eksa vFkok fof'k"V vkns'kksa ds v/khu NwV u nh tk,] leLr vf/kizkfIr;ka fufonk ds ek/;e ls dh tk,axhA

¼3½ tc rd fu;e esa vU;Fkk fofufnZ"V ;k l{ke izkf/kdkjh }kjk fo'ks"k :i ls izfrcfU/kr u fd;k x;k gks] lHkh Hkkxhnkjksa dks cksfy;ka yxkus ds fy, vkefU=r fd;k tk,xkA

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10¼2½ के अनुसार nj lafonk,a lkekU;r% ,d le; esa ,d o"kZ ds fy, dh tk ldsaxhA rFkkfi ,slh lkexzh ds fo"k; esa ftuds ewY; esa fujUrj mrkj&p<ko gksrk jgrk gS ;k tgk¡ nj lafonk ds oS/k vof/k esa ewY;ksa ds de gksus dh izo`fRr gk]s vYi vof/k ds fy, nj lafonk dh tk ldrh gS vkSj ,slh lkexzh ds cktkj Hkko ij dM+h fuxjkuh j[kh tk,A fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa] foRr foHkkx dh lgefr ls foHkkx dks Hkkjr ljdkj ds dsUnzh; dz; laxBu ;Fkk iwfrZ vkSj fuiVku egkfuns'kd ¼Mh-th-,l-,aM-Mh-½ }kjk dh xbZ nj lafonk ds vk/kkj ij lkexzh dz; djus ds fy, izkf/kd`r fd;k tk ldrk gSA

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2016-017 तक की अवधि मे रु 1839.66 लाख की सामग्री का क्रय बिना निविदा आमंत्रित किए डी जी एस एन डी दरो पर किया गया था इस संदर्भ मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुए बताया कि सभी अधिप्राप्ति डी जी एस एन डी दरो पर की गयी है कार्यालय स्तर पर कोई निविदा प्रकाशित नहीं की गयी है ।

कार्यालय के उत्तर से स्पस्ट है की वित्तीय नियमो का पालन नहीं किया गया है प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ नहीं लिया गया है एवं डी जी एस एन डी दरो पर सामग्री का क्रय विशेष परिस्थितियो मे वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकता है ।

अत: वर्ष 2004 से 2017 तक की अवधि मे रु 1839.66 लाख की सामग्री का क्रय बिना निविदा के किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1: आई॰टी॰ भवन के निर्माण पर धनराशि रु 1396.69 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय नियमो में प्रावधान है कि किसी भी निर्माण कार्य को आरंभ किए जाने के पूर्व सर्वप्रथम कार्य की प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए, तत्पश्चात मानचित्रों के अनुमोदन उपरांत कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए।

शासनादेश संख्या: 122/XXXIV/2013/40/2012 दिनांक 30 मार्च 2013 द्वारा सहस्त्रधारा रोड स्थित आई॰टी॰ पार्क में आई॰ टी॰ भवन (अनावासीय) निर्माण हेतु रु 1198.18 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा रु 1396.87 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। अप्रैल 2013 में एजेंसी एवं कार्यदायी संस्था के मध्य गठित समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्य अप्रैल 2013 में प्रारम्भ कर दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किया जाना था। निर्माण कार्य हेतु आई॰टी॰डी॰ए॰ को शासन

द्वारा टी॰डी॰एस॰ (रु 12.56लाख) की कटौती उपरांत रु 1384.13 लाख की राशि मार्च 2016 तक उपलब्ध करा दी गयी थी जिसमें से रु 1327.79 लाख की राशि ऐजेंसी द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई गई थी। सितंबर, 2017 में आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा आई॰टी॰ भवन को हस्तगत कर लिया गया था। निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में अधोलिखित कमियाँ दृष्टिगत हुई थी –

1. निर्माण कार्य अप्रैल 2013 में प्रारम्भ किया गया था जबकि तकनीकी स्वीकृति अप्रैल 2015 में कार्य प्रारम्भ के दो वर्ष पश्चात प्राप्त हुई थी।
2. अनुबंध के अनुसार समय से लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयोजन हेतु परियोजना कार्य की निर्माण स्थल पर दोनों पक्षो द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिमाह समीक्षा की जानी थी। ऐसी समीक्षा के कार्यवृत अभिलेख संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। स्पष्ट है कि परियोजना कार्य की मासिक समीक्षा नहीं की गयी थी।
3. मानचित्रों के अनुमोदन के बिना ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था।
4. आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा As built drawings प्राप्त किए बिना ही भवन को हस्तगत किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा अवगत कराया गया कि भवन निर्माण के समस्त कार्य शासन से प्राप्त अनुमोदनों एवं दिशा-निर्देशानुसार किये गये थे। शासन के निर्देशों एवं आई॰टी॰डी॰ए॰ की तत्समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई बार स्वीकृत कार्यो में कुछ परिवर्तन/संशोधन किये गये थे।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय प्रावधानों एवं समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुरूप ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2: रु 1022.70 लाख राशि की U.C. अप्राप्त रहना एव ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की अनिवार्य सेवाओ को सभी जिलो मे लागू नहीं किया जाना।

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य सेवा के रूप मे Revenue court, Birth certificate, Death certificate, Old age pension, Widow pension, Handicap pension, Ration card सेवाओ को सभी जिलो मे अनिवार्य रूप से वर्ष 2015-16 तक लागू किया जाना था। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि मार्च 2018 तक इन सेवाओ को सभी जिलो मे लागू नहीं किया जा सका था, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना मे वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक रु 1034.91 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी, कुछ राशि जिला कार्यालयो को भी प्रेषित की गयी है इस राशि की U.C भी आई टी डी ए कार्यालय मे उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया माह 12/ 2014 मे NICSI को रु 7.00 करोड़ धनराशि प्रेषित की गयी थी लेखा परीक्षा तिथि तक U.C/ समायोजन आई टी डी ए के पास उपलब्ध नहीं था।

आई टी डी ए द्वारा दिनांक 31.12.2007 को ई गवर्नेंस योजना से संबन्धित कम्प्युटर हार्डवेयर खरीदने हेतु कृषि विभाग को रु 322.70 लाख राशि प्रेषित की गयी थी इस राशि की U.C भी कार्यालय मे उपलब्ध नहीं थी।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे बताया कि- U.C प्राप्त नहीं हुई है एवं ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की धीमी प्रगति के सम्बंध मे बताया कि सेवाओ को लागू करने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लम्बी अवधि से U.C अप्राप्त थी ओर संतोष जनक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अत: रु 1022.70 लाख राशि की U.C. अप्राप्त रहना एव ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की अनिवार्य सेवाओ को सभी जिलो मे लागू नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्र0सं0	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1.	93/2006-07	1,2	-

Note:- Kindly check the details of outstanding Para from headquarters' record.

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी विकास ऐजेंसी (ITDA) देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अमरेन्द्र सिन्हा,	निदेशक	जून 2004 से जुलाई 2005 तक
श्री संजीव चोपड़ा,	निदेशक	जुलाई 2005 से अक्टूबर 2006 तक
श्री अरिन्दम तोमर,	निदेशक	अक्टूबर 2006 से सितंबर 2008
श्री सौरभ जैन,	निदेशक	अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2008
श्री रंजन कुमार मिश्रा,	निदेशक	3 दिसम्बर 2008 से 24 अगस्त 2009
श्री नितेश कुमार झा,	निदेशक	24/08/2009 से 25/04/2011
श्री रविनाथ रमन,	निदेशक	25/04/2011 से 28/09/2011
श्री मीनाक्षी सुंदरम,	निदेशक	28/09/2011 से 24/05/2012
श्री वी॰वी॰आर॰सी॰ पुरषोत्तम,	निदेशक	24/05/2012 से 15/01/2013
श्री रविनाथ रमन,	निदेशक	15/01/2013 से 05/11/2014
श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान,	निदेशक	05/11/2014 से 03/08/2016
श्री धर्मेन्द्र सिंह दत्ताल,	निदेशक	03/08/2016 से 25/05/2017
श्री अमित कुमार सिन्हा,	निदेशक	26/05/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी विकास ऐजेंसी (ITDA) देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र -2